न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 322 सन 2020

अनवान :–

1. अनिल गोदारा पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रेवन्ती पत्नी रामसिह उर्फ रामू जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर
2. पुनम गोदारा पुत्री नाबालिग पुत्रिया ओमप्रकाश जरिये संरक्षिका माता कृष्णा पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री नाबालिग पुत्रिया ओमप्रकाश जरिये संरक्षिका माता कृष्णा पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. कृष्णा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 95/6 की कुल 9.8370हैक में से 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पिता ओमप्रकाश के नाम एवं रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 25/24 की कुल 24.5060हैक में से 2206/61265 हिस्सा व 1516/12253 हिस्सा कुल 3.9144 हिस्सा वादी के दादा रामसिह के नाम व रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 11/53 की कुल 6.8420हैक में से 69/311 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 69/311 हिस्सा वादी के पिता ओमप्रकाश के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रामसिह पुत्र भैरा के देहान्त हो चुका है तथा रामसिह एक ही पुत्र औमप्रकाश का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है अर्थात रामसिह की पत्नि प्रतिवादीया संख्याा 1 एव रामसिह के पुत्र ओमप्रकाश की पत्नि प्रतिवादी संख्या 4 व पुत्र वादी एव पुत्रिया प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है जो रामसिह एव औमप्रकाश के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से राजस्व में अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है ।

वादी के दादा रामसिह एवं पता औमप्रकाश के देहान्त होने पर रामसिह एवं औमप्रकाश के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 हकदार है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है ।

अत: वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने बाहमी बटवारा के अनुसार के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पति रामसिह पुत्र भैरा के देहान्त होने पर विरास्तन से उसके एवं उसके पुत्र ओमप्रकाश के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 95/6 की कुल 9.8370हैक में से 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पिता ओमप्रकाश के नाम एवं रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 25/24 की कुल 24.5060हैक में से 2206/61265 हिस्सा व 1516/12253 हिस्सा कुल 3.9144 हिस्सा वादी के दादा रामसिह के नाम व रोही मौजा रेखज़िन्द्रासर के खाता संख्या 11/53 की कुल 6.8420हैक में से 69/311 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 69/311 हिस्सा वादी के पिता ओमप्रकाश के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रामसिह पुत्र भैरा के देहान्त हो चुका है तथा रामसिह एक ही पुत्र औमप्रकाश का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है अर्थात रामसिह की पत्नि प्रतिवादीया संख्याा 1 एव रामसिह के पुत्र ओमप्रकाश की पत्नि प्रतिवादी संख्या 4 व पुत्र वादी एवं पुत्रिया प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है जो रामसिह एव औमप्रकाश के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से राजस्व में अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादीया संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा हे जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्वध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 95/6 की कुल 9.8370हैक में से 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पिता ओमप्रकाश के नाम एवं रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 25/24 की कुल 24.5060हैक में से 2206/61265 हिस्सा व 1516/12253 हिस्सा कुल 3.9144 हिस्सा वादी के दादा रामसिह के नाम व रोही मौजा रेखज़िन्द्रासर के खाता संख्या 11/53 की कुल 6.8420हैक में से 69/311 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 69/311 हिस्सा वादी के पिता ओमप्रकाश के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रामसिह पुत्र भैरा का देहान्त हो गया है रामसिह के जायज व कानुनी वारिस उसकी पत्नि रेवन्ती प्रतिवादीया संख्या एवं उसका पुत्र ओमप्रकाश हुआ ओमप्रकाश का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ओमप्रकाश की पत्नि एवं पुत्र पुत्री हुए रामसिह व ओमप्रकाश का देहान्त होना मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है तथा वारिसान के सम्बध में किसी भी पक्षकार एव पेराकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के दादा रामसिह एवं पिता ओमप्रकाश के देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ही जायज वारिसान है जो रामसिह एवं ओमप्रकाश की सम्पति पाने के अधिकारी है तथा वादी की दादी के नाम दर्ज भूमि वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा हे इसपप्रकार वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का पाने का अधिकारी है जिसके सम्बध में प्रतिवादीया संख्या 1 को किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की सहमति में रूप में इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया गया है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 25/24 की कुल 24.5060हैक में 2206/61265 हिस्सा व 1516/12253 हिस्सा कुल 3.9144 हैक भूमि में रामसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 95/6 की कुल 9.8370हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी व रोही मोज-रेख जिन्द्रासर के खाता संख्या 11/53 की कुल 6.8420हैक मे से 69/311 हिस्सा में ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं 69/311 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नाबर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अनिल गोदारा पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रेवन्ती पत्नी रामसिह उर्फ रामू जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर
2. पुनम गोदारा पुत्री नाबालिग पुत्रिया ओमप्रकाश जरिये संरक्षिका माता कृष्णा पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री नाबालिग पुत्रिया ओमप्रकाश जरिये संरक्षिका माता कृष्णा पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. कृष्णा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 322 सन 2020 निर्णय दिनांक– 18/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निप्टारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 25/24 की कुल 24.5060हैक में 2206/61265 हिस्सा व 1516/12253 हिस्सा कुल 3.9144 हैक भूमि में रामसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 95/6 की कुल 9.8370हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी व रोही मोज रेख जिन्द्रासर के खाता संख्या 11/53 की कुल 6.8420हैक में से 69/311 हिस्सा में ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं 69/311 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner